



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072026-273986
CG-DL-E-01072026-273986

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 485]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 1, 2026/आषाढ 10, 1948

No. 485]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 1, 2026/ASHADHA 10, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2026

सं. 61/2026-सीमा शुल्क (मै.टे.)

सा.का.नि. 543(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 30, 30क, 41, 41क, 53, 54, 56, धारा 98 की उप-धारा (3) और धारा 158 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 157 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, समुद्री कार्गो मैनीफेस्ट और ट्रांसशिपमेंट विनियम, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् - :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभन - (1) इन विनियमों को समुद्री कार्गो मैनीफेस्ट और ट्रांसशिपमेंट (दूसरा संशोधन) विनियम, 2026 कहा जा सकता है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. समुद्री कार्गो मैनीफेस्ट और ट्रांसशिपमेंट विनियम, 2018 में, -

(1) फॉर्म-XII के बाद तालिका में:

- i. क्रमांक 6 के समक्ष, कॉलम (3) में, प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "31.08.2026" प्रतिस्थापित की जाएगी।

[फा. सं. 450/58/2015- सी.शु.-IV (भाग I)]

इंद्रजीत पांडा , अवर सचिव

नोट: मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या 38/2018-सीमा शुल्क (एन.टी.) दिनांक 11 मई, 2018 के माध्यम से संख्या सा.का.नि. 448 (अ), दिनांक 11 मई, 2018 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्या 31/2026 -सीमा शुल्क (गै.टे.) दिनांक 30 मार्च, 2026, संख्या सा.का.नि. 220(अ), दिनांक 30 मार्च, 2026 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department Of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2026

No. 61/2026-Customs (N.T.)

G.S.R. 543(E).— In exercise of the powers conferred by section 157, read with sections 30, 30A, 41, 41A, 53, 54, 56, sub-section (3) of section 98 and sub-section (2) of section 158 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following amendments in the Sea Cargo Manifest and Transshipment Regulations, 2018, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These regulations may be called the Sea Cargo Manifest and Transshipment (Second Amendment) Regulations, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Sea Cargo Manifest and Transshipment Regulations, 2018.-

(1) In the TABLE after FORM-XII:

- i. against Sr. No. 6, in column (3), for the entry, the entry "31.08.2026" shall be substituted.

[F. No. 450/58/2015- Cus.-IV(Pt.I)]

INDRAJIT PANDA, Under Secy.

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3 Sub-section (i) *vide* Notification No. 38/2018-Customs (N.T.) dated 11th May, 2018 *vide* number G.S.R. 448(E), dated the 11th May, 2018 and was last amended *vide* Notification No. 31/2026-Customs (N.T.) dated the 30th March, 2026, *vide* number G.S.R. 220(E), dated the 30th March, 2026.